न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 116/2018

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
डूंगरमल पुत्र रामप्रसाद जाति माली निवासी ताउसर, तहसील व जिला नागौर।		सरकार जरिये तहसीलदार, नागौर।

उपस्थिति :–
1. श्री श्याम कुमार व्यास अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांक:13.08.2019

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, नागौर द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 350/2017 सरकार बनाम डूंगरमल में निर्णय दिनांक 07.11.17 के तहत मौजा ताउसर के खसरा नं. 281 रकबा 1.10 बीघा गै.मु. गोचर भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 08.03.18 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 13.03.18 को मियाद के बिन्दु पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में तहसीलदार नागौर के प्रकरण सं. 350/17 सरकार बनाम डूंगरमल मे पारित निर्णय दिनांक 07.11.17 की फोटोप्रति, तहसीलदार नागौर के प्रकरण सं. 350/17 के फर्द अहकाम दिनांक 9.10.17 से 07.11.17 की फोटोप्रति तथा ग्राम ताउसर की खेवट खतौनी संवत 2020 व 2033–36 तक की फोटोप्रति पेश की। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश जैर अपील एक पक्षीय रूप से बिना अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य सबूत का अवसर दिये पारित किया है। क्योकि अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित अवश्य हुआ था। किन्तु अपीलांट को यह बताया गया कि आपकी उपस्थिति दर्ज कर ली है। अब आप जा सकते हो किन्तु उसी दिन दिनांक 7.11.17 को अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश जैर अपील पारित कर दिया। इस कारण आदेश की जानकारी अपीलांट को वक्त आदेश नही हो सकी। अभी हाल ही मे हल्का पटवारी के माध्यम से अपीलांट को आदेश जैर अपील जानकारी हुई तब अपीलांट ने दूसरे दिन ही तहसील मे नकल हेतु आवेदन किया जो नकल दिनांक 23.2.18 को प्राप्त होने पर अपीलांट को प्रथम बार आदेश जैर अपील की जानकारी हुई। इससे पूर्व अपीलांट को आदेश जैर अपील की जानकारी नही थी। प्रथम जानकारी से अपील अंदर मियाद पेश की है। न्याय हित मे अपील पेश करने मे हुई देरी को माफ किया जाना उचित व न्याय संगत है। जिसका राजकीय वकील द्वारा विरोध नही किया गया है। अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलांट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलांट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)–अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 7.11.17 पूर्णतया अवैध विधिविरूद्व एवं बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये पारित किया गया होने से निरस्तनीय है।

{2}(II)–अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं पत्रावली का अवलोकन किये बिना आदेश जैर अपील पारित किया है। जो निरस्तनीय है।

अपर कलक्टर नागौर

{2}(III)–अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिये बगैर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये आदेश जैर अपील पारित किया है। जो निरस्तनीय है।

{2}(IV)–अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी ताउसर द्वारा प्रस्तुत अतिक्रमण की रिपोर्ट के संदर्भ मे हल्का पटवारी के बयान तक नही लिये। केवल मात्र टीपी रिपोर्ट को ही आधार मानकर बिना किसी प्रकार की जांच किये आदेश जैर अपील पारित किया है। जो निरस्तनीय है।

{2}(V)–विवादित खेत के पास ही अपीलांट व उसके भाई की खातेदारी का खेत खसरा नं. 284 आया हुआ है। जिसके संबंध मे अधीनस्थ न्यायालय मे भी अपीलांट ने यह बताया कि हमारा खेत का नाप किया जाये यदि अधिक जमीन पर कब्ज पाया जाता है तो अपीलांट हटाने को तैयार है। किंतु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने बिना नापचोप करवाये आदेश जैर अपील पारित किर दिया। जो निरस्तनीय है।

{2}(VI)–अधीनस्थ न्यायालय ने प्रथम पेशी दिनांक 7.11.17 को ही आदेश जैर अपील पारित कर दिया। न तो अपीलांट को जवाब का अवसर दिया, न ही अपीलांट के बयान लिये। यदि अपीलांट का जवाब लिया जाता तो अपीलांट अधीनस्थ के समक्ष स्थिति स्पष्ट कर सकता था। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी प्रकार का अवसर दिये प्रथम पेशी पर ही आदेश जैर अपील पारित कर दिया। जो आदेश जैर अपील निरस्तनीय है।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा ताउसर में स्थित गै.मु. गोचर भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके ताउसर के खसरा नंबर 281 रकबा 1.10 बीघा गै.मु. गोचर भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलांट का अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होना अभिलेख से साबित है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
आर.ए.एस.
अपर कलक्टर, नागौर
नागौर